

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ 7101

दुर्ग, दिनांक 21/10/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
राजनांदगांव वनमण्डल,
राजनांदगांव

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Rajnandgaon "Bharat Net Project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 km. The laying of Optical Fibre cable of 32,466 KM involve 26 district across the State, area- 13.524 ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/42358/2019 Date 05.11.2019

संदर्भ :- 1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विविध/115-825/1843 दिनांक 13.10.2020.
2) आपका कार्या. पत्र क्र./तक.अधि./1383 दिनांक 20.08.2020.

▲ ▲ ▲

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (01) जो आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करें, जिसके द्वारा लेख किया गया है कि, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा भारत नेट की ओ. एफ.सी. लाईन बिछाने के अन्य प्रकरणों में आपत्ति लिया गया है। अतएव संदर्भित पत्र (01) के साथ संलग्न छ.ग. शासन, वन विभाग के पत्र क्र./एफ. 5-8/2020/10-2 दिनांक 21.09.2020 में दर्शाये बिन्दुओं का समावेश करने हेतु प्रकरण ई.डी.एस. किया गया है।

अतः संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें।

संलग्न :- संदर्भित पत्र की छायाप्रति
मय सहपत्रों के

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
21/10/2020



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

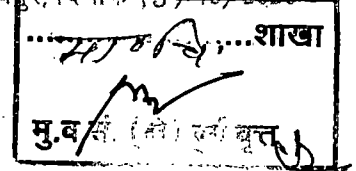
ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-825/1843

नया रायपुर, दिनांक 13/10/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त, दुर्ग
छत्तीसगढ़



विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Rajnandgaon" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 13.524 ha. regarding

पंजीयन क्रमांक -FP/CG/OFC/42358/2019 Date 05.11.2019

- संदर्भ:- 1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक. अधि./ 6001 दिनांक 01.09.2020
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-8/ 2020/ 10-2 दिनांक 21.09.2020

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र-1 के माध्यम राजनांदगांव वन मंडल का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत भारत नेट परियोजना का रकबा 13.524 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

चूंकि इस कार्यालय द्वारा महासमुन्द वन मंडल के भारत नेट के प्रकरण स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था जो संदर्भ पत्र-2 के माध्यम से आपत्ति लगाकर इस कार्यालय को वापस किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा भारत नेट की ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने के अन्य प्रकरणों में आपत्ति लिया गया है। अतएव संदर्भ पत्र-2 में दर्शाये बिन्दुओं का समावेश करने हेतु प्रकरण ई.डी.एस. किया जा रहा है। उक्त अनुसार कार्यवाही कर प्रस्ताव तैयार करावें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र -2 की छाया प्रति (एक पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 825/ 1844

रायपुर, दिनांक 13/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/5-8/2020/10 ?
पति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21/09/2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, सेक्टर-19

नवा रायपुर, अटल नगर ।

विषय:- आवेदनकर्ता गैरार्वा छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर द्वारा महाराष्ट्र जिले के महाराष्ट्र वनमंडल अंतर्गत आरक्षित नेट प्रोजेक्ट फेस-2 के तहत भूमिगत आधिकार फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.923 हे. वन भूमि वन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यवधान प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का वन पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विधि/115-829/1623 दिनांक 31.08.2020।

00----

कृपया विषयगत रसिगित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2/- विषयगत पत्र में सम्पूर्ण वनमंडलों में विभिन्न ग्राम पंचायतों को जोड़ते हुए आधिकार फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु एवम् वन भूमि की गणना कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त वन भूमि की गणना में एक ही वन कक्षा का अनेक बार प्रविष्टि की गई है, जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि, उक्त वन क्षेत्र में कुल आवेदित रकबा कितना है ?

3/- उक्त प्रकरण में राज्य शासन स्तर से जारी किये जाने वाले अनुमति में आवेदित वन क्षेत्र का विवरण निम्न तालिका अनुसार दर्ज किया जाना होगा :-

क्र	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्षा क्र	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4/- अतः आदेशानुसार निवेदन है कि उपरोक्त तालिका अनुसार प्रत्येक वन कक्षा का कुल आवेदित रकबा दर्शाते हुए विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(के.पी.राजपूत) 21-9-2020

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21/09/2020

पृष्ठ क्रमांक 5-8/2020/10-2

प्रतिलिपि :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रिम।

अवर सचिव 21-9-2020

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग